Yc

आदेश

1. श्री अनुराग गुप्ता, भा0पु0से0 (1990) के विरूद्ध झारखण्ड में संपन्न राज्य सभा चुनाव–2016 के दौरान पद का दुरूपयोग कर वोटरों के मताधिकार का प्रयोग करने में हस्तक्षेप करते हुए चुनाव प्रभावित करने के आरोप को प्रथम द्रष्टया सत्य पाये जाने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध अखिल भारतीय सेवाएँ (आचार) नियमावली, 1968 के नियम–5(1) एवं 5(4) के उल्लंघन के संदर्भ में गृह विभाग के ज्ञापन संख्या–2177, दिनांक–13.04.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है। श्री गुप्ता द्वारा उक्त कार्य कर पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया है। यह आचरण अखिल भारतीय सेवाएँ (आचार) नियमावली, 1968 के नियम–3(1) के प्रतिकूल है। इस आरोप की गंभीरता के मद्देनजर ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा चुनाव–2019 निर्वाचन अवधि में श्री गुप्ता को राज्य से बाहर रहने का निर्देश दिया गया था।

उपरवर्णित राजनीतिक तटस्थता के उल्लंघन संबंधी आरोप की संवेदनशीलता के मद्देनजर गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्य–836/सी0, दिनांक 14.02.2020 के द्वारा श्री अनुराग गुप्ता, भा0पु0से0 (1990), अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम–3(1)(a) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

2. निलम्बन अवधि में श्री अनुराग गुप्ता, भा0पु0से0 का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची निर्धारित किया गया है।

3. श्री गुप्ता, भा0पु0से0 को अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम–4(1) एवं 4 (2) के अन्तर्गत निलंबन अवधि में अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होने का आदेश दिया गया है।

<u>गत्यादेशः</u>– उक्त अधिसूचना के अनुपालन में श्री अनुराग गुप्ता, भा0पु0से0, अविलम्ब पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची में योगदान देंगे।

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के आदेशानुसार

14/2/20

पुलिस महानिरीक्षक(मानवाधिकार)
झारखण्ड,राँची।

ज्ञापांक 202 /जी0

XP/04-01-2015

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, झारखंड, राँची ।

राँची, दिनांक 14/02/2020

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची को कृपया सूचनार्थ।
2. माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची को कृपया सूचनार्थ।
3. मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची को कृपया सूचनार्थ।
4. अपर मुख्य सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को कृपया सूचनार्थ।
5. महानिदेशक, रेल, झारखण्ड, राँची को कृपया सूचनार्थ।
6. महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवायें को कृपया सूचनार्थ।
7. अध्यक्ष, जे0पी0एच0सी0एल0–सह–महानिदेशक(मुख्यालय), झारखण्ड, राँची को कृपया सूचनार्थ।
8. महानिदेशक, झारखण्ड सशस्त्र पुलिस–सह–भ्र0नि0 ब्यूरो, झारखण्ड, राँची को कृपया सूचनार्थ।
9. महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
10. प्रबंध निदेशक, जे0पी0एच0सी0एल0–सह–अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची को कृपया सूचनार्थ।
11. सभी अपर पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, राँची को कृपया सूचनार्थ।

12. अपर पुलिस महानिदेशक, निगरानी–सह–सुरक्षा, झारखण्ड उर्जा विकास निगम, राँची को कृपया सूचनार्थ।
13. विशेष सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ।
14. सभी पुलिस महानिरीक्षक / सभी पुलिस उप–महानिरीक्षक झारखण्ड को सूचनार्थ।
15. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / समादेष्टा, झारखण्ड को सूचनार्थ।
16. राज्यपाल के परिसहाय (पुलिस), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ।
17. श्री अनुराग गुप्ता, भा0पु0से0 को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
18. प्रभारी, एन0जी0ओ0 / महानिदेशक नियंत्रण कक्ष / प्रभारी डाटा सेन्टर, पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं सभी संबंधित जिला / इकाई को फैक्स, ई–मेल / वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

पुलिस महानिरीक्षक (मानवाधिकार),
झारखण्ड, राँची।